



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण
DETAILS OF DEPENDENT FAMILY MEMBERS

कर्मचारी का नाम: _____

Name of the Employee: _____

पदनाम: _____

Designation: _____

जन्मतिथि: __ / __ / _____ (DD/MM/YYYY)

Date of Birth: __ / __ / _____ (DD/MM/YYYY)

नियुक्ति की तिथि: __ / __ / _____ (DD/MM/YYYY)

Date of Appointment: __ / __ / _____ (DD/MM/YYYY)

दिनांक __ / __ / _____ को मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण

Details of the members of my family as on: __ / __ / _____ (DD/MM/YYYY)

क्र. सं. Sr. No.	परिवार के सदस्यों का नाम Name of the members of Family	जन्मतिथि Date Of Birth	कर्मचारी से संबंध Relationship with the Employee	कार्यालय प्रमुख की प्रारम्भिक टिप्पणी Initial Remarks of The Head of Office	पेशा /व्यवसाय Occupation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

मैं एतद्वारा कार्यालय प्रमुख को किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की सूचना देकर उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता/देती हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

मैं एतद्द्वारा यह भी वचन देता/देती हूँ कि परिवार के उक्त वर्णित सदस्य पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं और प्रत्येक सदस्य की सभी स्रोतों से कुल आय 9000 रुपए/- प्रति माह है।

I also hereby undertake that the family members whose names are mentioned above are wholly dependent upon me and income of each member from all sources is Rs. 9000/- per month.

स्थान: _____

Place: _____

दिनांक

Date: ____ / ____ / _____ (DD/MM/YYYY)

कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Employee

महत्वपूर्ण निर्देश:

Important Instructions:

1. अविवाहित बच्चे या 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सौतेले बच्चे जोकि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं।
Unmarried children or stepchildren of age 25 years and above and wholly dependent on the Government Employee.
2. विवाहित पुत्री जिनका तलाक हो चुका है, परित्यक्त हैं या अपने पति से अलग हो चुकी हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हैं और पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं।
Married daughter who have been divorced, abundant or separated from their husbands and are residing with the Government Employee and are wholly dependent on the Government Employee.
3. माता-पिता और/या सौतेली माँ जो सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं और पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं।
Parents and / or stepmother residing with and wholly dependent on the Government Employee.
4. अविवाहित नाबालिग भाइयों के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, अपने पति से अलग परित्यक्त या सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाली और पूरी तरह से आश्रित विधवा बहन, जिनके अपने माता-पिता या तो जीवित नहीं हैं या खुद सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर हैं।
Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned separated from their husbands or widowed sister residing with and wholly dependent on the Government Employee, provided their parents and either not alive or one themselves wholly dependent on the Government Employee.